

एस. के. पाण्डा
जे.जी.एम/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री आलोक सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।
(आर.टी.आई. संख्या 683)।

सन्दर्भ: प्रधान कार्यालय ई-मेल दिनांक 01.07.2024।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक श्री आलोक सिंह द्वारा माँगी गयी सूचना का विवरण क्रमानुसार निम्नवत् है:-


1. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. परियोजना हेतु सक्षम प्राधिकारी, कौशाम्बी के माध्यम से ग्राम खानपुर सतवाँ की गाटा संख्या 477 का अधिग्रहण भू-मानचित्र के आधार पर रेलवे लाइन के संरेखण हेतु किया गया है, जिसकी सूचना भारत के राजपत्र व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की गयी थी। (संलग्न)
2. भारत सरकार द्वारा उक्त अधिग्रहित गाटे का मुआवजा निम्न व्यक्तियों को निम्नांकित दिनांक के अनुसार प्रदान किया गया है। जिनके नाम निम्नवत् हैं:-

क्र.स.	काश्तकार का नाम	चेक संख्या	दिनांक
1.	गुलाब सिंह यादव पुत्र सुखराम सिंह	324108	15.09.2016
2.	रंजीत सिंह यादव पुत्र सुखराम सिंह	546932	07.11.2017
3.	रणवीर सिंह यादव पुत्र सुखराम सिंह	001135	05.10.2012
4.	चन्द्र जीत सिंह यादव पुत्र सुखराम सिंह	001134	05.10.2012
5.	छोटे लाल सिंह पुत्र झगडू सिंह	546997	03.01.2022
6.	सुखवंती देवी पत्नी सुखराम सिंह	324085	22.08.2018

3. अधिग्रहित रकबा 0.2020 हे० भूमि का भुगतान प्रभावित व्यक्तियों को धनराशि रू० 279406/- किया जा चुका है।
4. भुगतान हेतु मुआवजा अवशेष नहीं है।

इस पत्र पर मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक: यथोक्त।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
प्रयागराज (पश्चिम)

R71-683 RTI Details

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	DFCCL/R E/24/00615	Date of Receipt :	30/06/2024
Type of Receipt :	Online Receipt	Language of Request :	English
Name :	ALOK SINGH	Gender :	Male
Address :	PLOT NO 15 . SATBARI ROAD NEW AZAD NAGAR, KIDWAI NAGAR KANPUR, Pin:208011		
State :	Uttar Pradesh	Country :	India
Phone No. :	+91-9559392739	Mobile No. :	+91-9559392739
Email :	aloksingh332@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	Education Status :	Above Graduate
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status :	Indian
Amount Paid :	10)	Mode of Payment :	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	Request Pertains to :	

Information Sought :

My father late Shri Krishna Autar Singh S/O Late Gaya Prasad and my brother-in-law Shri Indra jeet Singh S/O Dharam Singh had purchased a residential plot of 297 square meter in Village Khanpur Satwan ,Tehsil-Chayal .Distt-Kaushambi Uttar Pradesh ,Gata No-477/1 on dated 05/06/2015 . A order dated 14/04/2023 is showing in khatauni that our residential plot is acquired by Dedicated Freight Corridor Scheme Railway Ministry .Kindly provide following informations

- 1- Had Railway Ministry informed us before acquisition of said residential plot ? If Yes then kindly provide copy of that letter .
- 2- We have not get any compensation of our residential plot acquired by Railway Ministry .Kindly provide date upto when we will get compensation of our plot .
- 3- How much compensation we will get for our acquired land kindly provide
- 4- What is the process to get compensation of our plot from Dedicated Freight Corridor Scheme Railway Ministry .Kindly provide .

Print Save Close

Tmgh
All exw.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 963]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2009/आषाढ़ 2, 1931

No. 963]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2009/ASADHA 2, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2009

का.आ. 1534(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर उप जिला अधिकारी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाडा कारीडोर के लिए कौशाम्बी जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण

क्रम सं०	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट सं०	हेक्टर में क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चायल	(1) खानपुर सतवान		
			186	0.142
			187	0.393
			197	0.374
			198	0.151
			199	0.373
			200	0.010
			234	0.132
			245	0.168
			258	0.011
			259	0.021
			261	0.200
			368	0.086
			369	0.126
			370	0.264
			376	0.002
			378	0.005
			379	0.046
			380	0.020
			382	0.910
			383	0.038
			384	0.514
			385	0.170
			386	0.062
			388	0.041
			391	0.045
			397	0.026
			398	0.151
			399	0.093

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			400	0.202
			404	0.025
			405	0.300
			406	0.012
			407	0.040
			409	0.189
			410	0.511
			411	0.112
			455	0.229
			456	0.057
			459	0.477
			460	0.197
			461	0.317
			472	0.020
			477	0.552
			478	0.005
			479	0.660
			492	0.300
			493	0.250
			494	0.100
			495	0.044
		(2) मोहम्मदपुर असवान	496	1.177
			73	0.120
			74	0.210
			75	0.082
			76	0.992
			12(मिन)	0.067
			13(मिन)	0.110
2.	सिराथू	(1) गोविन्दपुर गोरियो	72(मिन)	0.166
			293	0.020
			296	0.303
			298	0.139
			299	0.275
			302	0.049



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1035]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 2010/ज्येष्ठ 8, 1932

No. 1035]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 2010/JYAISTHA 8, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2010

का.आ. 1246(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1534 (अ), तारीख 19 जून, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तरप्रदेश राज्य के जिला कौशाम्बी में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में तारीख 22 जुलाई, 2009 और "युनाईटेड भारत" में तारीख 22 जुलाई, 2009 को प्रकाशित किया गया था;

और, तीन आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989, की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	दायल	मोहम्मदपुर असवा	73	निजी	कृषि	0.1200	श्रीकृष्ण चरिता देवी पत्नी लाल
			74	निजी	कृषि	0.2100	राजलाल, रघुन लाल पुत्रगण सुनी प्रसाद
			75	निजी	कृषि	0.0820	राजकृष्ण देवी पत्नी लाल, श्रीकृष्ण देवी पत्नी लाल, पुत्र, श्रीकृष्ण लाल पुत्रगण सम्पत्त
			76	निजी	कृषि	0.0920	शंकरा सुभार साहू पुत्र राय शंकरसाहू साहू, श्रीमती राजकमती देवी पत्नी लाल, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी लाल कुमवार
		12(मिन्ज.)		निजी	कृषि	0.0670	शंकरलाल, रामप्रताप, अर्जुन पुत्रगण शिवसु
		13(मिन्ज.)		निजी	कृषि	0.1100	इन्द्रजीत पुत्र पवन कुमर, सुख कुमारी पुत्री नरवासाय, कल्प शिरोर पुत्र किश कुमर, श्रीमती शिव कुमारी पत्नी शिव कुमर, श्रीमती राती देवी पत्नी धनराम, धनराम दुबे पुत्र श्यामदेव, श्रीमती कान्ती देवी पत्नी अशोक कुमर
		72(मिन्ज.)		निजी	कृषि	0.1660	श्रीकृष्ण देवी पत्नी पुत्र
		186		निजी	कृषि	0.1420	लालचम, शिवलाल पुत्रगण अम्बिका प्रसाद, सत्येन्द्र कुमर जर्मा पुत्र शिवलाल, हरिहर सिंह, अभिमन्यु सिंह पुत्रगण अमन्दी सिंह, संदीप सिंह, सुभार सिंह पुत्रगण इन्द्रचन्द
		187		निजी	कृषि	0.3930	मैकु सिंह, शिव सिंह, शिव शंकर सिंह, अजुन सिंह पुत्रगण मोती सिंह, शैलदा प्रसाद पुत्र मधु
		197		निजी	कृषि	0.3740	इन्द्रभान सिंह, संप्राम सिंह, रामनयन सिंह, त्रिभुवन सिंह पुत्रगण गोरख सिंह, जगेश्वर सिंह, सुभा कुमर सिंह, अरुण कुमर सिंह पुत्रगण लाल बहादुर सिंह, अर्जुन सिंह, चैत्रा सिंह पुत्रगण बजरंग सिंह, अश्व सुभारी सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
		198		निजी	कृषि	0.1510	शानुचन्द, श्रीचन्द्र, मूलचन्द्र पुत्रगण कुन्दू, धिरीजी लाल, मिश्री लाल, राजु पुत्रगण नैनार, फकीरे, देवराज पुत्रगण, धिन्नी, श्रीमती बसन्ती पत्नी धिन्नी, सम्पत्त पुत्र मोहन
		199		निजी	कृषि	0.3730	लक्ष्मीकान्त, राजनीकान्त, शशीकान्त पुत्रगण राम लखन, सुरेन्द्र कुमर, महेंद्र कुमर, अशोक कुमर पुत्रगण भोलानाथ, मनोज कुमर, सुधीर कुमर पुत्रगण बाल मुकुन्द
		245		निजी	कृषि	0.1680	सुधनाथ पुत्र विरामर
		258		निजी	कृषि	0.0110	राम सरन पुत्र रामदास
		259		निजी	कृषि	0.0210	कमला त्रिपाठी पत्नी लक्ष्मी नारायण, नित्यानन्द पुत्र सुरजदीन
		261		निजी	कृषि	0.2000	रघुन नारायण, शिव नारायण, बाल नारायण पुत्रगण गंगा राम, आशा देवी पत्नी गंगा राम
		368		निजी	कृषि	0.0860	कालिदा प्रसाद पुत्र राम सुभार, लल्लन प्रसाद, सत्यनारायण पुत्रगण जगदेव
		369		निजी	कृषि	0.1260	बासुदेव, हरदेव पुत्रगण बदल, राम सुभार, लल्लन प्रसाद, सत्यनारायण पुत्रगण जगदेव प्रसाद
		370		निजी	कृषि	0.2640	रोशन लाल, मैकु लाल पुत्रगण विन्दा, शम्भु दास, राम मूरत पुत्रगण मन्सुरिया दीन, शिव मंगल पुत्र शिवचर, मेघ लाल, हरी मोहन, लखन लाल पुत्रगण किणुन लाल, शंकर, चन्द्रशेखर पुत्रगण बबबू लाल, बच्ची देवी पत्नी बबबू लाल
		376		निजी	कृषि	0.0020	इन्द्रभान सिंह, संप्राम सिंह, राम भवन सिंह, त्रिभुवन सिंह पुत्रगण गोरख सिंह
		378		निजी	कृषि	0.0050	राम सजोयन, राम खैलायन पुत्रगण सुययण सिंह
		379		निजी	कृषि	0.0480	अब्दुल गारी पुत्र अब्दुल लतीफ, हकीम अयान उल्लाह पुत्र अहमद अली, जहोर चदवीन पुत्र अब्दुल अजीज
	(2)	खानपुर सतवान	383	निजी	कृषि	0.0380	बदर दास, रयान्शन, शिवान पुत्रगण सुधीर
			384	निजी	कृषि	0.5140	उमाकान्त पान्देव, रामजी पान्देव पुत्रगण देवनारायण, कामता प्रसाद पुत्र गोविन्द देव साहय संकटा प्रसाद, त्रिभुवन प्रसाद पुत्रगण नारायण प्रसाद
			385	निजी	कृषि	0.1700	लक्ष्मी नारायण, मुन्नी लाल, मोती लाल, हीरा लाल, रामचन्द्र पुत्रगण सरजू
			386	निजी	कृषि	0.0820	जगन्नाथ, बंजनथ, ओकार नाथ पुत्रगण नोहर लाल
			388	निजी	कृषि	0.0410	से.फा.स्टेटन बिल डि.मै.एच संरक्षक पावटी एली डि.७७९ आफ से.रोड, कोतल कुमर तिवारी पुत्र रामू नाथ तिवारी
			397	निजी	कृषि	0.0280	आशा राम, जय राम पुत्रगण लालदा प्रसाद, शंकरा, उमेशा पुत्रगण शिवराम
			398	निजी	कृषि	0.1510	लक्ष्मी नारायण, मुन्नी लाल, मोती लाल, हीरा लाल, रामचन्द्र पुत्रगण सरजू
			399	निजी	कृषि	0.0930	रजवन्त सिंह पुत्र नीरंग सिंह
			400	निजी	कृषि	0.2020	चन्द्र बदन सिंह पुत्र रन्धीत सिंह, अजीत सिंह, सुरजीत सिंह पुत्रगण अमरीका सिंह
			404	निजी	कृषि	0.0260	चन्द्र बदन सिंह पुत्र रन्धीत सिंह, अजीत सिंह, सुरजीत सिंह पुत्रगण अमरीका सिंह
			405	निजी	कृषि	0.3000	रजवन्त सिंह पुत्र नीरंग सिंह
			406	निजी	कृषि	0.0120	अमृतलाल, लक्ष्मण शर्मा, पुत्रगण जगेश्वर प्रसाद, बसन्त लाल पुत्र छोटै लाल, सुबुन, मुलचन्द्र पुत्रगण मेठई, बंशी लाल पुत्र मनकु
			407	निजी	कृषि	0.0400	शैव प्रसाद, रामदीन पुत्रगण उमेशकर, गौरी शंकर, कृष्ण शंकर पुत्रगण रामदेव, हरिहर प्रसाद दुबे, मनोज कुमर दुबे पुत्रगण राम प्रसाद
			408	निजी	कृषि	0.1890	अमन्ता डिगिन्स पुत्र स्य.इ.युजिन्स फामिलि डिगिन्स
			410	निजी	कृषि	0.5110	बंशी लाल पुत्र मनकु, फूलचन्द्र पुत्र किशोरी लाल, गिरनता देवी पत्नी किशोरी लाल, कीर्ति कुमर, बाके लाल उर्फ बाके पुत्रगण सुन्दर लाल, मुन्नी लाल पुत्रगण नदन
			411	निजी	कृषि	0.1120	शोभा लाल, सुभ लाल, नरेन्द्र कुमर पुत्रगण सीताराम, रामकृष्ण, रामप्रताप पुत्रगण महमूद, जगदीश, इन्द्रनारायण, प्रदीप नारायण, अशोक कुमर पुत्रगण मनकु उर्फ शिवनाथ
			455	निजी	कृषि	0.2290	से.फा.स्टेटन बिल डि.मै.एच संरक्षक पावटी एली डि.७७९ आफ से.रोड, कोतल कुमर तिवारी पुत्र रामू नाथ तिवारी
			456	निजी	कृषि	0.0570	से.फा.स्टेटन बिल डि.मै.एच संरक्षक पावटी एली डि.७७९ आफ से.रोड, कोतल कुमर तिवारी पुत्र रामू नाथ तिवारी सुरजपाल पुत्र सुनि
			459	निजी	कृषि	0.4770	बाजी लाल पुत्र महादेव, सुखराम सिंह पुत्र मंगडु सिंह, भाग्यप्रताप सिंह पुत्र सुययण सिंह
			460	निजी	कृषि	0.1970	रमेश्वर पुत्र बन्धु, सुरज पाल पुत्र सुनि
			461	निजी	कृषि	0.3170	बलराम, बलभर, मनकु पुत्रगण हरी शंकर, अर्जुन शंकर पुत्र सम्पत्त
			472	निजी	कृषि	0.0200	ऊचा देवी पत्नी उंगू लाल

20319/10-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			477	निजी	कृषि	0.6520	बड़ी लाल पुत्र महादेव मोहन लाल पुत्र भूम शार, सुखराम सिंह, छोटे लाल सिंह पुत्रगण ब्रगदू सिंह
			478	निजी	कृषि	0.0090	सुखराम सिंह, छोटे लाल सिंह पुत्रगण ब्रगदू सिंह
			479	निजी	कृषि	0.8600	सुखराम सिंह, छोटे लाल सिंह पुत्रगण ब्रगदू सिंह
			492	निजी	कृषि	0.3000	बलराम, बलभद्र, ननकू पुत्रगण हरी शंकर, अर्जुन शंकर पुत्र सत्यत, आशा राम, जय राम पुत्रगण लालता प्रसाद, राकेश, जगेश पुत्रगण शिवराम
			493	निजी	कृषि	0.2500	नई लाल, छोटेकू पुत्रगण गुलरी राम, ठनगू पुत्र सीताराम, प्रेम पुत्र साकिंग राम
			494	निजी	कृषि	0.1000	बड़ी लाल पुत्र महादेव
			495	निजी	कृषि	0.0440	बड़ी लाल पुत्र महादेव
			496	निजी	कृषि	1.1770	बड़ी लाल पुत्र महादेव, मोहन लाल पुत्र भूम शार, सुखराम सिंह, छोटे लाल सिंह पुत्रगण ब्रगदू सिंह

[फा. सं. 2010/एलएम(एल)/12/3-ईस्टर्न कॉरिडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुख-सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2010

S.O. 1246(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1534 (E), dated the 19th June, 2009 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of special railway project eastern dedicated freight corridor in the district of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily The Dainik Jagaran dated 22nd July, 2009 and the United Bharat, dated 22nd July, 2009 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, three numbers of objections were received and the same have been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

दैनिक जागरण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनात्]



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)
अधिसूचना

आई दिवसी, 19 जून, 2009

अधिसूचना (सं) - रेलवे सार्वजनिक रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उचित संशोधन किया गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान किया जाता है कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपानुसूची में उल्लेख किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कौशांबी जिले में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के अन्तर्गत अनुसूचित प्रसंग और प्रकाशन के लिए अधिसूचित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की पूर्ति करती है :

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, रेल अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और अर्जन के लक्ष्य में आक्षेप कर सकेगा ;

उक्त रेल अर्जन स्थल प्राधिकारी अर्थात्, अपर उप जिला अधिकारी, कौशांबी, उत्तर प्रदेश को लिखित में लिख कराने और उसने उसके आधार उपर्युक्त करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या लिखित स्वरूप में सूचना देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आक्षेपों की सुनवाई करने के लिए और जब करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो अक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पूर्ण समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर के लिए कौशांबी जिले के भीतर आने वाली भूमि का सार्वजनिक संहिता या उसके बिना संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट सं०	हेक्टर में क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चायल	(1) खानपुर सतवान		
			186	0.142
			187	0.393
			197	0.374
			198	0.151
			199	0.373
			200	0.010
			234	0.132
			245	0.168
			258	0.011
			259	0.021
			261	0.200
			368	0.086
			369	0.126
			370	0.264
			376	0.002
			378	0.005
			379	0.046
			380	0.020
			382	0.910
			383	0.038
			384	0.514
			385	0.170
			386	0.062
			388	0.041
			391	0.045
			397	0.026
			398	0.151
			399	0.093
			400	0.202
			404	0.025
			405	0.300
			406	0.012
			407	0.040
			409	0.189
			410	0.511
			411	0.112
			455	0.229
			458	0.057
			459	0.477
			480	0.187
			481	0.317
			472	0.020
			477	0.652
			478	0.005
			479	0.680
			492	0.300
			493	0.250

			404	0.100
			405	0.044
		(2) गोरखपुर असावान	406	1.177
			73	0.120
			74	0.210
			76	0.082
			70	0.992
			12 (मिन)	0.067
			13 (मिन)	0.110
2	सिराधु	(1) गोविन्दपुर गोरखी	72 (मिन)	0.166
			293	0.020
			206	0.203
			290	0.139
			299	0.275
			302	0.049
			303	0.144
			307	0.120
			310	0.194
			311	0.170
			313	0.020
			314	0.114
			315	0.057
			317	0.022
			318	0.052
			319	0.094
			323	0.046
			561	0.159
			562	0.078
			570	0.005
			572	0.005
			580	0.005
			581	0.068
			650	0.135
			653	0.157
			654	0.005
			149 (मिन)	0.032
			234 (मिन)	0.213
			236 (मिन)	0.020
			237 (मिन)	1.450
			248 (मिन)	0.020
			250 (मिन)	1.405
			261 (मिन)	0.025
			300 (मिन)	0.037
			301 (मिन)	0.018
			304 (मिन)	0.080
			305 (मिन)	0.206
			308 (मिन)	0.147
			309 (मिन)	0.074
			320 (मिन)	0.409
			321 (मिन)	0.306
			322 (मिन)	0.008
			324 (मिन)	0.362
			325 (मिन)	0.139
			326 (मिन)	0.030
			327 (मिन)	0.883
			493 (मिन)	0.594
			494 (मिन)	0.030
			495 (मिन)	0.664
			551 (मिन)	0.030
			559 (मिन)	0.476
			560 (मिन)	0.688
			573 (मिन)	1.128
			574 (मिन)	0.012
			575 (मिन)	0.197
			576 (मिन)	0.488
			577 (मिन)	0.119
			578 (मिन)	0.192
			623 (मिन)	0.684
			625 (मिन)	0.020
			626 (मिन)	0.399
			627 (मिन)	0.560
			639 (मिन)	0.020
			647 (मिन)	0.443
			648 (मिन)	0.263
			649 (मिन)	0.621
			651 (मिन)	0.388
			652 (मिन)	0.165

